उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–3
संख्या–2564 / 9–3–21–5सी / 2021
लखनऊ, दिनांकः 16 दिसम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जल निगम के बढ़े हुए कार्यभार के कारण तथा राज्य में ग्रामीण जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था से सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन करने के उद्देश्य से उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 में संशोधन करते हुए विधायी विभाग के अधिसूचना संख्या–800 / 79–वि–1–21–1–क–29–21, दिनॉक 24.08.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2021 निर्गत किया गया। यथासंशोधित अधिनियम के प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश जल निगम का उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजन हो गया है। नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1770 / 9–3–21–05सी / 2021, दिनॉक 09.09.2021 द्वारा उक्त संशोधित अधिनियम के प्राविधानों को दिनॉक 09.09.2021 से प्रवृत्त किया गया।

2– उ0प्र0 जल निगम की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की रूपरेखा एवं विसंगतियों के निवारण हेतु कार्यालय आदेश संख्या–1781 / 9–3–21–05सी / 2021, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में हुए विनिश्चय के अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या–1792 / 9–3–21–05सी / 2021, दिनॉक 13.09.2021 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के क्षेत्रीय कार्यालय (जोन), मण्डल कार्यालय, खण्ड कार्यालय के उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) / उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के मध्य किये गये अनन्तिम विभाजन को एतद्द्वारा अन्तिम माना जायेगा।

3– तत्कम में संलग्नक के अनुसार संवर्गवार उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं (ग्रामीण) के मध्य सृजित पदों का भी अन्तिम रूप से विभाजन किया जाता है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव,

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण पेयजलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव,

U.O.S

Scanned with CamScanner

शासनादेश संख्या–2564/9–3–21–05सी/2021, दिनॉक 16.12.2021 का संलग्नक

पदनाम	उ0 प्र0 जल निगम मे कुल स्वीकृत पदो की संख्या	कार्यालय आदेश संख्या–1792/9–3–2021–05सी/2021, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा मुख्यालय हेतु आबॅटित पदो की संख्या			शेष स्वीकृत पदो की संख्या	शेष स्वीकृत पदो का प्रस्तावित आवॅटन	
		कुल पदो की संख्या	उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय) हेतु	उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हेतु		उ0 प्र0 जलनिगम (नगरीय) हेतु आवॅटित पदो की संख्या (सी0 एण्ड डी0 एस0 को सम्मलित करते हुये)	उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हेतु आवॅटित पदो की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
समूह क							
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)	4	4	2	2	0	0	0
मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	8	2	1	1	6	3	3
मुख्य अभियन्ता (वि०/यॉ०)	1	1	1	0	0	0	0
अधीक्षणअभियन्ता (सिविल)	43	16	8	8	27	13	14
अधीक्षणअभियन्ता (वि०/यॉ०)	8	1	0	1	7	3	4
प्रबंधक(भूजल)	1	1	1	0	0	0	0
वरिष्ठहाइड्रोजियोलाजिस्ट	1	1	0	1	0	0	0
वरिष्ठजियोफिजिस्ट	1	1	1	0	0	0	0
अधिशासी अभियन्ता(सिविल)	167	21	10	11	146	73	73
अधिशासी अभियन्ता(वि०/यॉ०)	32	3	2	1	29	14	15
शोध अधिकारी	2	2	1	1	0	0	0
मुख्य लेखाधिकारी	1	1	1	0	0	0	0
वरिष्ठलेखाधिकारी	8	3	1	2	5	2	3
योग 1	277	57	29	28	220	108	112
समूह ख							
सहायक अभियन्ता(सिविल)	693	34	17	17	659	329	330

U.O.S

Scanned with CamScanner

पदनाम	उ0 प्र0 जल निगम मे कुल स्वीकृत पदो की संख्या	कार्यालय आदेश संख्या–1792/9–3–2021–05सी/2021, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा मुख्यालय हेतु आवॅटित पदो की संख्या			शेष स्वीकृत पदो की संख्या	शेष स्वीकृत पदो का प्रस्तावित आबॅटन	
		कुल पदो की संख्या	उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय) हेतु	उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हेतु		उ0 प्र0 जलनिगम (नगरीय) हेतु आबॅटित पदो की संख्या (सी0 एण्ड डी0 एस0 को सम्मलित करते हुये)	उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हेतु आबॅटित पदो की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायकअभियन्ता (वि०/यॉ०)	104	4	2	2	100	50	50
सहायक शोध अधिकारी	6	2	1	1	4	2	2
सहायकहाइड्रोजियोलॉजिस्ट	3	3	1	2	0	0	0
सहायकजियोफिजिस्ट	2	2	1	1	0	0	0
लेखाधिकारी	8	3	2	1	5	3	2
योग 2	816	48	24	24	768	384	384
समूह ग(तकनीकी)							
जूनियर इंजीनियर(सिविल)	2146	45	22	23	2101	1051	1050
जूनियर इंजीनियर(वि०/यॉ०)	371	12	6	6	359	179	180
संगणक	114	2	1	1	112	56	56
मुख्य मानचित्रक	53	3	2	1	50	25	25
मानचित्रक	374	2	1	1	372	186	186
कन्सोलआपरेटर	2	2	1	1	0	0	0
योग 3	3060	66	33	33	2994	1497	1497
समूह ग(अतकनीकी)							
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	1	1	0	0	0	0
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8	8	4	4	0	0	0
प्रशासनिक अधिकारी	42	31	16	15	11	6	5
प्रधान सहायक	239	60	30	30	179	90	89
वरिष्ठ सहायक	240	70	35	35	170	85	85
कनिष्ठसहायक	450	92	46	46	358	179	179
निजी सचिव ग्रेड–1	5	5	3	2	0	0	0

U.O.S

Scanned with CamScanner

पदनाम	उ0 प्र0 जल निगम मे कुल स्वीकृत पदो की संख्या	कार्यालय आदेश संख्या–1792/9–3–2021–05सी/2021, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा मुख्यालय हेतु आबॅटित पदो की संख्या			शेष स्वीकृत पदो की संख्या	शेष स्वीकृत पदो का प्रस्तावित आबॅटन	
		कुल पदो की संख्या	उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय) हेतु	उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हेतु		उ0 प्र0 जलनिगम (नगरीय) हेतु आबॅटित पदो की संख्या (सी0 एण्ड डी0 एस0 को सम्मलित करते हुये)	उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हेतु आबॅटित पदो की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
निजी सचिव ग्रेड–2	21	16	8	8	5	2	3
आशुलिपिक ग्रेड–3	92	58	29	29	34	17	17
आशुलिपिक ग्रेड–4	162	0	0	0	162	81	81
सहायक लेखाधिकारी	12	4	2	2	8	4	4
लेखाकार	71	3	2	1	68	34	34
सहायक लेखाकार	80	8	4	4	72	36	36
लेखा लिपिक	150	32	16	16	118	59	59
वहन चालक	398	35	18	17	363	182	181
स्टोर कीपर (क्षेत्र)	38	0	0	0	38	19	19
सहायक विधि अधिकारी	1	1	1	0	0	0	0
पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	1	0	0	0	0
वरिष्ठ लैब सहायक/ क0लैबस0	6	1	1	0	5	2	3
टेलीफोन आपरेटर	3	3	2	1	0	0	0
योग 4	2020	429	219	210	1591	796	795
समूह घ							
चतुर्थ श्रेणी	1452	50	25	25	1402	701	701
कुल योग	7625	650	330	320	6975	3486	3489

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव,

U.O.S

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–3
संख्या–2564(I)/9–3–21–5सी/2021
लखनऊ, दिनांकः 16 दिसम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जल निगम के बढ़े हुए कार्यभार के कारण तथा राज्य में ग्रामीण जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था से सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन करने के उद्देश्य से उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 में संशोधन करते हुए विधायी विभाग के अधिसूचना संख्या–800/79–वि–1–21–1–क–29–21, दिनॉक 24.08.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2021 निर्गत किया गया। यथासंशोधित अधिनियम के प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश जल निगम का उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजन हो गया है। नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1770/9–3–21–05सी/2021, दिनॉक 09.09.2021 द्वारा उक्त संशोधित अधिनियम के प्राविधानों को दिनॉक 09.09.2021 से प्रवृत्त किया गया। शासन के कार्यालय आदेश संख्या–2564/9–3–21–05सी/2021, दिनॉक 16.12.2021 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के क्षेत्रीय कार्यालय (जोन), मण्डल कार्यालय, खण्ड कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों का उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)/उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के मध्य किये गये अनन्तिम विभाजन को अन्तिम कर दिया गया है। उ0प्र0 जल निगम की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की रूपरेखा एवं विसंगतियों के निवारण हेतु कार्यालय आदेश संख्या–1781/9–3–21–05सी/2021, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में हुए विनिश्चय के अनुसार एतद्द्वारा अग्रेतर निम्नवत् निर्णय लिया जाता हैः–

(i) उ0प्र0 जल निगम के खण्ड कार्यालयों में नियुक्त एवं दिनांक 09–09–2021 को कार्यरत नियमित फील्ड कार्मिकों का उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के मध्य सुसंगत शासनादेश संख्या–2564/9–3–2021–5सी/2021, दिनांक 16–12–2021 के अनुसार अंतिम विभाजन किया जाता है।

अपवाद स्वरूप उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के नियमित फील्ड कर्मचारियों के मध्य संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से वरिष्ठता के आधार पर द्वादश खण्ड मथुरा से 100 एवं निर्माण खण्ड आगरा से 100 नियमित फील्ड कर्मचारी मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) आगरा को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

(ii) शासन के कार्यालय आदेश संख्या–1837/9–3–21–05सी/2021, दिनॉक 16.09.2021 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों के उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)/उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के मध्य किये गये विभाजन को अन्तिम माना जायेगा।

उक्त सूची में छूटे श्री उमेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) अन्तिम रूप से आवंटित किया जाता है।

(iii) उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2021 में सी0 एण्ड डी0एस0 को उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में रखे जाने के आधार पर सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0

U.O.S

Scanned with CamScanner

जल निगम में कार्यरत समस्त कार्मिकों को उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में पूर्ववत रखा जाता है।

(V) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधीन कार्यालयों के कार्मिकों/पेंशन धारकों/पारिवारिक पेंशन आहरित करने वाले कार्मिकों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देयों, सामान्य भविष्य निधि तथा छठे वेतनमान के एरियर तथा पेंशन एरियर का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित निगम द्वारा उपर्युक्तानुसार तत्समय के उ0प्र0 जल निगम के समस्त नियमित कार्मिकों के किए गए अंतिम आवंटन एवं कार्यालयों के अन्तिम विभाजन के अनुसार किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव,

<u>संख्या एवं दिनॉक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण पेयजलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव,

U.O.S

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–3
संख्या–2564(।।)/9–3–21–5सी/2021
लखनऊ, दिनांकः 16 दिसम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जल निगम के बढ़े हुए कार्यभार के कारण तथा राज्य में ग्रामीण जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था से सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन करने के उद्देश्य से उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 में संशोधन करते हुए विधायी विभाग के अधिसूचना संख्या–800/79–वि–1–21–1–क–29–21, दिनॉक 24.08.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2021 निर्गत किया गया। यथासंशोधित अधिनियम के प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश जल निगम का उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजन हो गया है। नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1770/9–3–21–05सी/2021, दिनॉक 09.09.2021 द्वारा उक्त संशोधित अधिनियम के प्राविधानों को दिनॉक 09.09.2021 से प्रवृत्त किया गया। उ0प्र0 जल निगम की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की रूपरेखा एवं विसंगतियों के निवारण हेतु कार्यालय आदेश संख्या–1781/9–3–21–05सी/2021, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में हुए विनिश्चय के अनुसार एतद्द्वारा परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के विषय में निम्नवत् निर्णय लिये जाते हैंः–

(i) जल निगम के मुख्यालय स्थित भवनों में से ब्लाक–ए, ब्लाक–डी, ब्लाक–ई, अध्यक्ष आवास तथा स्टोर उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के पास तथा ब्लाक–बी, ब्लाक–सी तथा प्रयोगशाला भवन उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के पास अनन्तिम रूप से रहेगा। मुख्यालय की भूमि/सम्पत्ति के स्वामित्व का विभाजन न करते हुये उभय निगमों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से इसका संचालन एवं अनुरक्षण किया जायेगा।

(ii) उ0प्र0 जल निगम (सी0एण्ड डी0एस0), संशोधन अधिनियम, 2021 के द्वारा उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में रखे जाने के कारण उ0प्र0 जल निगम (सी0 एण्ड डी0एस0) के लखनऊ स्थित मुख्यालय भवन को उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को आवंटित किया जाता है।

(iii) लखनऊ नगर की आवासीय कालोनियों एवं फील्ड हास्टल का प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा आपसी सहमति से इनका अनुरक्षण एवं संचालन व्यावहारिक एवं आवंटन नीति निर्धारण करते हुए किया जायेगा।

(iv) जल जीवन मिशन के जल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण निगरानी कार्यक्रम की परियोजनाओं के सुगम संचालन के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम की 27 नग प्रयोगशालाओं को उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में समाहित किया जाता है।

(v) उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम–2021 में निहित प्राविधानों के अनुसार योजनाओं के कार्य उस निगम के अधीन खण्ड कार्यालय द्वारा कराये जायेंगे, जिस निगम के अधिकारिता क्षेत्र से वह योजना/क्षेत्र आच्छादित होता है।

U.O.S

Scanned with CamScanner

तदनुसार उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा अमृत कार्यक्रम एवं नगर विकास विभाग के राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन किया जायेगा। इसी प्रकार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं नमामि गंगे योजना से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जायेगा।

(vi) झाँसी–बबीना जलापूर्ति योजना एवं झाँसी जल आपूर्ति संवर्धन योजना के माध्यम से अधिकांश नगरीय क्षेत्र में जलापूर्ति किए जाने तथा झांसी जल संस्थान भी नगर विकास विभाग के अधीन होने के आधार पर झाँसी–बबीना जलापूर्ति पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के द्वारा किया जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव,

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण पेयजलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव,

U.O.S

Scanned with CamScanner